

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 13 सितम्बर, 2018

अधिसूचना संख्या 45/2018 - सीमा शुल्क (एडीडी)

सा.का.नि. (अ)- सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं की पहचान, उस पर प्रतिपाटन शुल्क का आंकलन और संग्रहण तथा क्षति निर्धारण), नियमावली 1995, के नियम 18 और 23 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 9क की उपधारा (1) और (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 3/2013- सीमा शुल्क (एडीडी), दिनांक 26 मार्च, 2013 जिसे सा.का.नि. 194 (अ), दिनांक 26 मार्च, 2013 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग ॥, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, को, ऐसे निरसन से पूर्व की गई अथवा न की गई बातों को छोड़ते हुए, निरसित करती है ।

(फा.सं. 354/10/2007-टीआरयू (पार्ट-॥) )

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार